न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 220 / 2022

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चम्पादेवी पत्नी बांकाराम जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना		1. कमलेश पुत्र श्रीराम 2. आसूराम पुत्र सोनाराम 3. भाखराराम पुत्र सोनाराम 4. रामजीवन पुत्र आसूराम 5. केसरीमल पुत्र कोजाराम 6. तेजाराम पुत्र धूड़ाराम 7. सदराम पुत्र धूड़ाराम 8. हरदास पुत्र अणदाराम 9. मोहनलाल पुत्र खंगाराराम 10. मनोहरलाल पुत्र खंगाराराम 11. हरखू पत्नी खंगाराराम 12. जगराम पुत्र पांचाराम 13. हरिकिशन पुत्र पांचाराम 14. जमना पत्नी पांचाराम 15. पुनमाराम पुत्र लाखाराम 16. सुवटी पत्नी लाखाराम 17. सुखराम पुत्र प्रतापाराम 18. हरजी पुत्र प्रतापाराम 19. करनाराम पुत्र पोकरराम 20. भींयाराम पुत्र पोकरराम 21. शंकरलाल पुत्र जगराम 22. चनणी पत्नी जगराम 23. सोनाराम पुत्र हेमाराम 24. धनाराम पुत्र हेमाराम 25. प्रभुराम पुत्र हेमाराम 26. प्रतापा पुत्र हेमाराम 27. सुगणी पत्नी हेमाराम 28. धर्माराम पुत्र सुरताराम 29. रम्भा देवी पत्नी सुरताराम 30. रामधन पुत्र हीराराम 31. सदराम पुत्र हीराराम 32. रामजीवन पुत्र हरचन्द जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 12-12-2022

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena

Date: 2024.11.06 13:43:00 IST

Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण :– 1. श्री हापूरा[illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :– 16-[illegible]-2023

प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता श्री हापू[illegible] गोदारा द्वारा एक रा[illegible]आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

निवेदन किया कि प्रार्थीनी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 8.6198 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नोड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में आई हुई है, जिस पर प्रार्थीनी का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीनी की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीनी की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीनी अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर सकती है, इसलिए प्रार्थीनी हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है। प्रार्थीनी ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 18.10.2022 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का अवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीनी नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार हूँ। विवादित खेत मौजा जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर कुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 32 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 14.04.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीनी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात को भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी विवादित आराजी खसरा संख्या 184 रकबा 8.6198 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.10.2022 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 184 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीनी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 184 रकबा 8.6198 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 भली—भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071—2074 के खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 184 रकबा 8.6198 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीनी के हर्जे—खर्चे से उसके खसरा संख्या 184 रकबा 8.6198 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा—विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 16.8.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना